## कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

**प्रभारी मीडिया,**

इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पुर) रोस्टर के अनुसार तीन समाचार पत्र दैनिक ....जागरण.... .. ,दैनिक....शाह टाइम्स....एवं दैनिक....हिन्द....समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

## सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग
## ई–निविदा

पत्रांक: 599 /सम्प0अनु0 दिनांक : 05/04/2022

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 ठेका पार्किंग व अन्य ठेके के लिये नगर निगम कार्यालय पुनः ई–निविदा आमंत्रित आमंत्रित करता है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रकिया में भाग ले सकते हैं–

| क्र0सं0 | पत्रा0 सं0 | ठेके का नाम | जमानत राशि | जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र | वित्तीय वर्ष 2021–22 में जमा धनराशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) | न्यूनतम ऑफर धनराशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZ1 | ठेका साईकिल स्कूटर कार पार्किंग जुबली पार्क | 2,00,000.00 | 10 लाख | 18,01,000.00 | 20,00,000.00 |
| 2 | NZ2 | ठेका मृत पशु निस्तारण | 20,000.00 | 01 लाख | 1,46,240.00 | 1,50,000.00 |
| 3 | NZ3 | ठेका पार्किंग जनरल पोस्ट आफिस रोड़। | 40,000.00 | 10 लाख | 3,73,500.00 | 4,00,000.00 |
| 4 | NZ4 | ठेका पशु मण्डी कमेला रोड | 10,00,000.00 | 01 करोड | 62,80,000.00 | 1,00,00,000.00 |
| 5 | NZ5 | ठेका साईकिल स्कूटर पार्किंग पालिका बाजार | 75,000.00 | 01 लाख | 7,11,940.00 | 7,50,000.00 |
| 6 | NZ6 | ठेका पार्किंग टैक्सी स्टैण्ड वाली भूमि पर | 30,000.00 | 01 लाख | 2,50,000.00 | 2,75,000.00 |
| 1 | NZ1 | ठेका साईकिल स्कूटर कार पार्किंग जुबली पार्क | 2,00,000.00 | 10 लाख | 18,01,000.00 | 20,00,000.00 |

नोट 1– प्रत्येक ठेके के निमित्त आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमानत राशि की एफ0डी0आर0, निविदा की ऑफर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैंक, चैंक की दशा में खाते की पासबुक की छायाप्रति, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पास पोर्ट आकार के 02 फोटो एक शपथ पत्र जिस पर निविदादाता को फोटो लगा होगा तथा यह तथ्य अंकित होगा कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये है, तथा वह उत्तर प्रदेश के किसी भी संस्था/निगम का बकायेदार नही है, और कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही हुआ है। निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

2– ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट **www.saharanpurnagarnigam.com** व एन0आई0सी0 की वेबसाईट **www.saharanpur.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

3– ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4– जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नही होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नही ले सकेगें।

5– ऑनलाईन निविदा दिनांक 18.04.2022 को अपरान्ह् 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 18.04.2022 को अपरान्ह् 03:00 बजे तक कार्यालय में रखें टैण्डर बाक्स में अपनी टेक्निकल निविदा को डालें जाने एवम् तद्दिनांक को सायं 04:00 बजे निविदां गठित समिति एंव निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6– टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1298/– रू0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

**कर अधीक्षक**
**नगर निगम सहारनपुर**

**प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति**
**नगर निगम सहारनपुर।**

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

## वित्तीय वर्ष 2022–23 तक के लिये ठेका पार्किंग एव अन्य ठेके हेतु ई–निविदा हेतु शर्ते

1. उक्त ठेकों में निविदादाता को कॉलम न0 06 न्यूनतम ऑफर धनराशि से कम की धनराशि अपनी निविदा में अंकित नही करनी है, इस धनराशि से कम धनराशि अंकित होने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

2.निविदादाता को अपनी निविदा में अंकित धनराशि (बोली) की धनराशि का बैंक ड्राफट अथवा चैंक निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना होगा, चैंक जमा करने की स्थिति में जिस खाते का चैंक है, उस खाते की पास बुक की छायाप्रति भी लगानी होगी, जिसमें जिस धनराशि का चैक जारी किया गया है, उस धनराशि से अधिक जमा धनराशि होनी चाहिये, चैक संलग्न होने की दशा में निविदा खोले जाने के दिनांक से अगले दिन अर्थात 24 घण्टे के अन्दर किया जायेगा, उक्त धनराशि 24 घण्टे के अन्दर नगद भी जमा की जा सकती है। जब तक नगर निगम के खाते में पूरी धनराशि नही आयेगी, तब तक किसी भी सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी नही किया जायेगा। निर्धारित धनराशि समय के अन्दर जमा न होने पर उच्चतम निविदादाता की जमानत जब्त कर द्वितीय उच्चतम निविदादाता को कार्यालय द्वारा ऑफर दिया जा सकेगा।

अपनी निविदि धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर0 जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम से बन्धक होगी वह निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। एफ0डी0आर0 संलग्न न होने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

निविदादाता को अपनी निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमानत राशि की एफ0डी0आर0, निविदा की ऑफर धनराशि का बैंक ड्राफट/चैंक, चैंक की दशा में खाते की पासबुक की छायाप्रति, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पास पोर्ट आकार के 02 फोटो एक शपथ पत्र जिस पर निविदादाता को फोटो लगा होगा तथा यह तथ्य अंकित होगा कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये है, तथा वह निगम का बकायेदार नही है, और कभी भी किसी संस्था के ब्लैक लिस्टेड नही हुआ है। निविदा के साथ संलग्न करने होंगे। उक्त प्रपत्रों के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

सफर निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित धनराशि के मूल्य का स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराना होगा, तथा उस पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, उसके बाद ही कार्यादेश जारी होगा।

6–ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।

7–ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा तथा वसूल की जाने वाली शुल्क की रसीदों का प्रारुप नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही रसीद जारी की जायेगी। ऐसा न करने पर उसे ठेके की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

8–यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तों एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्ध रहेगा।

9– ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

10–यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11– किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

**12– वित्तीय** वर्ष 2022–23 **हेतु पार्किंग ठेकों में वाहनों से वसूले जाने वाली दरों का विवरणः–**

| | |
|---|---|
| साईकिल | – 05 रु. |
| स्कूटर | – 10 रु. |
| मोटर साईकिल | – 10 रु. |
| कार/जीप | – 50 रु. |
| थ्री व्हीलर | – 25 रु. |

13–ठेका पशु मण्डी कमेला रोड सहारनपुर शुल्क की वसूली इस प्रकार की जायेगी।

क. भैंस/भैंसा – 150/– रू0 प्रति

ख. कटडा/कटडी/बकरा 100/– रू0 प्रति

14–यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

15–टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1298/– रू0(जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

16–यदि किसी निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर ठेका लेने में कामयाब हो जाता है, और बाद में तथ्य उजागर होता है, तो ऐसे ठेकेदार के विरूद्व जमानत राशि जब्त करने व ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कार्य होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। जमानत राशि ठेका सन्तोष जनक पूर्ण होने पर ही वापिस की जायेगी।

17–सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का कार्यालय को जमानत रशि व चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा।

**कर अधीक्षक**
**नगर निगम सहारनपुर**

**प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)**
**नगर निगम सहारनपुर।**